म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/27/ 264 भोपाल,दिनांक 18/3/15

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

विषयः– प्रदेश की मंडी समितियों में निर्मित संरचनाओं को किराये/नीलाम किये जाने एवं मंडी समिति के प्रांगण में निर्मित कर्वड आक्शन प्लेटफार्म पर व्यापारियों की कृषि उपज का भण्डारण किये जाने बाबत्।

बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के निरीक्षण/भ्रमण के समय पाया गया है कि मंडी समितियों में निर्मित संरचनाओं (सेण्ड्रीशाप, गोदाम, एवं अन्य) का लंबे समय से भूमि संरचना आवंटन नियम, 2005 से लगायत 2009 तक के प्रावधान अनुसार कार्यवाही नही की जाना पाया गया जिससे उपरोक्त संरचनाओं से प्राप्त होने वाली राशि के साथ ही उपरोक्त संरचनाओं के रख–रखाव पर एक बड़ी राशि निरंतर व्यय की जाना पड़ रही है जिससे मंडी समिति को हानि उठानी पड़ रही है।

साथ ही उपरोक्त संरचनाओं का आवंटन किये जाने के उपरांत पाया गया कि मंडी समितियों द्वारा उपरोक्त संरचनाओं का नियमित मासिक किराया प्राप्त न किया जाकर लंबी अवधि तक किराया शेष रखा जाता है।

निरीक्षण/भ्रमण के समय यह भी पाया गया है कि मंडी/उपमंडी के प्रांगण में निर्मित कर्वड/ओपन आक्शन प्लेटफार्मो मे मंडी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की कृषि उपज तौल होने के उपरांत उपरोक्त संरचनाओं में ही लंबी अवधि तक रखी रहती है जिससे मंडी समिति की उपरोक्त संरचनाओं के दुरूपयोग होने के साथ ही कृषकों को बारिश एवं गर्मी के मौसम में भी खुले में अपनी कृषि उपज नीलामी हेतु रखना पड़ती है जिससे कृषकों को कृषि उपज की भीगने अथवा अन्य से हानि उठानी पडती है, जो गंभीर है।

अतएव उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही दिनांक 31/3/2015 तक किया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रबंध संचालक महोदय द्वारा दिये गये है, जो निम्नानुसार है :–

1. मंडी समितियों की निर्मित रिक्त संरचनाओं का भूमि संरचना आवंटन नियम, 2009 के प्रावधान अनुसार दि. 31/3/15 तक अनिवार्य रूप से नीलामी आदि की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
2. मंडी समितियों द्वारा दिये गये सेण्ड्रीशाप, गोदाम, दुकान, केन्टीन एवं अन्य का मासिक रूप से किराया निरंतर प्राप्त किया जावे। समस्त मंडी समितियों से दिनांक 31/3/15 तक समस्त किराया जिनको संरचनाये आवंटित की गई है वसूल कर लिया गया है का प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया जाकर प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर संभाग अंतर्गत मंडियों पर कोई किराया बकाया नही है, आप अपना प्रमाण पत्र भिजवाये।

3. मंडी समितियों में मंडी/उपमंडी प्रांगण में निर्मित कर्वड/ओपन आक्शन प्लेटफार्मो में किसी भी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों की कृषि उपज का भण्डारण नही है अथवा जिनके द्वारा भण्डारण किया गया है उनसे मंडी अधिनियम/उपविधि में वर्णित प्रावधानों के तहत राशि (किराया) जमा कराया गया है, के साथ ही उपरोक्त कृषि उपज रखी होने से कृषकों को कोई असुविधा नही हो रही है का प्रमाण भी प्राप्त किया जाकर अपने अभिमत सहित इस कार्यालय को भिजवाया जावे।

स्मरण रहे कि सेण्ड्रीशाप, गोदाम, दुकान, केन्टीन एवं अन्य का मासिक रूप से किराया दिनांक 31/3/15 तक बकाया नही है, का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही उनको माह मार्च 2015 का वेतन किया जावेगा सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक द्वारा अनुमोदित।

उप संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल